



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

Circular No.5/2023-24

Dated :14.06.2023

CIRCULAR

Sub: Online Submission of Quarterly Export Returns-reg.

As you are aware, as per the terms and conditions for grant of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES), issued in accordance with the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and subsequent Amendments, every Registered Exporter of spices should submit the Export/Purchase/Import Return in the prescribed format to Spices Board on quarterly basis on or before the 10th day of every succeeding quarter.

A 'Nil' return for corresponding quarter, should be submitted even though there is no Export/Purchase/Import.

Accordingly, all the Exporters are required to furnish all the pending Quarterly Export Returns for the year 2021-22,2022-23 on or before 30th June 2023. In this regard, the Quarterly Export Returns can be submitted online the link to submit the export/purchase/import return is available in our website www.indianspices.com > Marketing > Exporters > Export Returns. The login and password is same as that of ESS (ie for filing sampling intimation. Also, you can reset your password).

Director (Mktg)

All Registered Exporters

Copy to : Regional offices for necessary action and follow up

(Issued from MKTG/STS/GEN/CIRCULAR/04/2021))



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र सं.5/2023-24

दिनांक: 14.06.2023

परिपत्र

विषय: तिमाही निर्यात विवरणी की ऑनलाइन प्रस्तुति-बाबत

जैसे कि आप जानते हैं, स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 और पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी मसालों के निर्यातकों के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तों के अनुसार मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को प्रत्येक उत्तरवर्ती तिमाही के 10 वाँ दिन या उससे पहले तिमाही आधार पर स्पाइसेस बोर्ड को निर्धारित फॉर्मेट में निर्यात/खरीद/आयात विवरणी प्रस्तुत करना चाहिए।

भले ही कोई निर्यात/खरीद/आयात न हो, तदनु रूप तिमाही के लिए एक 'शून्य' विवरणी प्रस्तुत करना है।

तदनुसार, सभी निर्यातकों को 30 जून 2023 को या उससे पहले 2021-22, 2022-23 वर्ष की सभी लंबित तिमाही निर्यात विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस के संबंध में गुणवत्ता मूल्यांन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है निर्यात/खरीद/आयात विवरणी प्रस्तुत करना की लिंक हमारी वेबसाइट में उपलब्ध है- www.indianspices.com > विपणन > निर्यातक > निर्यात विवरणी। लॉगिन और पासवर्ड ईएसएस के समान ही है (अर्थात् सैंपलिंग सूचना दाखिल करने के लिए। साथ ही, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)।

विपणन का काम

निदेशक (विपणन)

सभी पंजीकृत निर्यातक

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्रवाई एवं अनुवर्तन के लिए प्रादेशिक कार्यालय

(विपणन/एसटीएस/सामान्य/परिपत्र/04/2021 से जारी)